# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 155/2023

प्रार्थी :– वगता राम पुत्र राऊ राम जाति जाट, निवासी काकडो की ढाणी, बायतु चिमनजी, तह. बायतु, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम**

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड, प्रार्थी अधिवक्ता

2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

**आदेश**

दिनांक :– 21.06.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 2023/472 रकबा 0.0437 हैक्टेयर ग्राम भांडियावास तहंसील पचपदरा जिला बाडमेर मे आई हुई है । उपरोक्त कृषि भूमि जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम अशुद्व एवं गलत रूप से राऊ राम की जगह रामचन्द्र नाम दर्ज कर दिया है जो गलत एवं अशुद्व है जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं शुद्व नाम राऊ राम है तथा प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड , आधार कार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम राऊ राम दर्ज है ।प्रार्थी के पिता का नाम उक्त आराजी मे रामचन्द्र दर्ज होने से प्रार्थी कोई सरकारी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता तथा न ही कृषि विकास कार्य हेतु बैंको से ऋण आदि ले सकता है, जिससे प्रार्थी को कई तरह की अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थी के पिता का एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र की जगह राऊ राम नाम की दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:32:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया व पटवारी जांच व तहसीलदार पचपदरा रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा के पत्र कमाक/भू.अ/2023/1846 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम हिम्माणियो भांभुओ की ढाणर पटवार मंडल कुडी तहसील कल्याणपुर के खसरा संख्या 1472/398 व 398 कुल रकबा 1.1735 हैक्टेयर भूमि मे वगताराम पुत्र राउराम कौम जाट सा0 बायतु खातेदार दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड मे वगताराम पुत्र राऊ राम दर्ज है। अतः ग्राम भांडियावास के खसरा संख्या 2023/472 मे प्रार्थी का नाम वगताराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर वगताराम पुत्र राऊ राम दर्ज करने की अनुशंषा की गयी।

प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, ग्राम हिम्ताणियां भांभूओ की ढाणी, ग्राम बायतु चिमनजी के जमाबंदी संलग्न दस्तावेजात एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र तथा तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमें प्रार्थी के पिता का सही नाम वगताराम पुत्र राऊ राम है। जबकि प्रार्थी के मौजा ग्राम भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा के राजस्व रेकर्ड में वगताराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया हुआ है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मे भी प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व किये जाने की अनुशषां की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रंस्तुत शपथ–पत्र व तहसीलदार पचपदरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू.अ.नि. बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2023/472 रकबा 0.0437 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम वगताराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर वगताराम पुत्र राऊ राम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:32:03 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा